संख्या-11/सा-3-1004/दस-2014-306(1)/2012

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 07 नवम्बर, 2014

विषय:- दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त एवं राज्य सरकार के अधीन पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण।

महोदय,

राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में पुनर्योजित सेवानिवृत्त सैनिक पेंशनरों के पुनर्योजन की अवधि में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-सा-3-1272/दस-3-56, दिनॉक 26 अगस्त, 1977, शासनादेश संख्या-सा-3-562/दस-946/87, दिनॉक 22 मार्च, 1991, शासनादेश संख्या-सा-3-1070/दस-930/83, दिनॉक 19 जुलाई, 1991 तथा पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में अन्तिम बार इस विषय पर शासनादेश संख्या-सा-3-72/दस-2000-306/99, दिनॉक 21 जनवरी, 2000 निर्गत किया गया है।

2- दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा राज्य सरकार की सेवा में दिनॉक 01-01-2006 के पश्चात् पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों का वेतन,उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित

--2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

किये जाने के प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त, श्री राज्यपाल निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

(क)- जिन मामलों में सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित परिलब्धियों में महॅगाई वेतन सम्मिलित रहा हो, ऐसे सैनिक पेंशनरों का वेतन दिनॉक 01-01-2006 अथवा पुनर्योजन की तिथि, जो बाद में हो, से निम्नलिखित मदों को सम्मिलित करते हुए
पुनरीक्षित किया जाये:-

1- सेवानिवृत्ति की तिथि को पुराने वेतनमान में आहरित अन्तिम मूल वेतन।
2- महँगाई वेतन (महँगाई भत्ते का वह अंश जिसे वेतन में परिवर्तित किया गया)
3- मूल वेतन तथा महँगाई वेतन के योग पर 24 प्रतिशत के बराबर महँगाई भत्ता।
4- मूल वेतन (महँगाई वेतन को घटाकर) के 40 प्रतिशत के बराबर फिटमेण्ट वेटेज की धनराशि।

(ख)- जिन मामलों में महँगाई वेतन अनुमन्य न रहा हो, उनमें दिनॉक 01-01-2006 अथवा पुनर्योजन की तिथि, जो बाद में हो, से वेतन पुनरीक्षण निम्नलिखित मदों को सम्मिलित करते हुए किया जायेगा:-

1- सेवानिवृत्ति की तिथि को पुराने वेतनमान में आहरित अन्तिम मूल वेतन।
2- उक्त मूल वेतन पर 86 प्रतिशत महंगाई भत्ता।
3- मूल वेतन के 40 प्रतिशत के बराबर फिटमेण्ट वेटेज।

उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित वेतन में से दिनॉक 01-01-2006 अथवा पुनर्योजन की तिथि, जो भी बाद में हो, को अनुमन्य पुनरीक्षित पेंशन को घटाते हुए, पुनर्योजन की अवधि के लिए वेतन निर्धारित किया जायेगा।



http://shasanadesh.up.nic.in

कमीशन्ड रैंक के सेवानिवृत्ति पुनर्योजित सैन्य अधिकारियों के वेतन निर्धारण के मामलों में उपेक्षणीय पेंशन की व्यवस्था लागू रहेगी। दिनॉक 01-01-2006 से उपेक्षणीय पेंशन की धनराशि रू0 4000/- शासनादेश संख्या-सा-3-676/दस-2011-322(01)/2010, दिनॉक 25-07-2011 द्वारा संशोधित की गयी है। वेतन निर्धारण हेतु उपर्युक्तानुसार संशोधित उपेक्षणीय पेंशन का संज्ञान लिया जायेगा।

3- उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार वेतन निर्धारित किये जाने पर जो धनराशि आयेगी उसी धनराशि पर दिनॉक 01-01-2006 अथवा पुनर्योजन की तिथि से महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

4- सैनिक पेंश्नरों क पुनर्योजन संबंधी अन्य शर्ते पूर्ववत् लागू रहेंगी।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या-11/सा-3-1004(1)/दस-2014-306(1)/2012, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in